राज्य सूचना आयोग
बिहार, पटना

के0 संख्या– 78/06–07

विषयः– श्री निर्मल कुमार गोयंका, ग्राम+पोस्ट–64/21, शारदा नगर, जिला–सीतामढ़ी का प्राप्त आवेदन–पत्र।

20.11.2006 आवेदक को दिनांक 07.12.2006 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में पूर्ण तथ्यों एवं कागजातों सहित सुनवाई हेतु बुलावें।

(पी0एन0 नारायणन)	(मो0 शकील अहमद)	(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

07.12.2006 आवेदक उपस्थित थे। संबंधित लोक सूचना पदाधिकारी, सचिव, बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर से दिनांक–08.01.07 तक मंतव्य की मांग की जाए तथा सुनवाई हेतु दिनांक–10.01.07 को 10.30 बजे पूर्वाह्न में रखा जाए।

(पी0एन0 नारायणन)	(मो0 शकील अहमद)	(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

10.01.2007 केस संख्या 78 से लगातार केस सं0–87 तक सभी मामले श्री निर्मल कुमार गोयंका–बनाम–भीमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर से संबंधित हैं। अपीलकर्त्ता आवेदक, श्री गोयंका ने बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर से विभिन्न सूचनाओं की मांग की है। उन्हें एकाध सूचना के अलावे अन्य वांछित सूचनाएं नहीं दी गई हैं। आयोग ने इसे बहुत ही गंभीरता से लिया है। काफी दिनों से इन मामलों को विचारण हेतु स्थगित रखा गया है। आज श्री गोयंका ने आयोग को बताया कि लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय पदाधिकारी की नियुक्ति में भी विहित प्रक्रिया इस विश्वविद्यालय के द्वारा नहीं अपनायी गई है। इन अधिकारियों में जो सहायक लोक सूचना पदाधिकारी एवं लोक सूचना पदाधिकारी हैं, वे विश्वविद्यालय के पदाधिकारी नहीं हैं, बल्कि वे भिन्न–भिन्न महाविद्यालयों के शिक्षक एवं विश्वविद्यालय के प्राध्यापक हैं, जिन्हें विश्वविद्यालय के कार्रवाईयों की कोई जानकारी नहीं है, हालांकि कि प्रथम अपीलीय पदाधिकारी कुलपति स्वयं हैं। ऐसी स्थिति में आयोग यह उचित समझता है कि धाराओं के तहत अगर सिर्फ प्रथम अपीलीय पदाधिकारी ही हैं तो उन्हें ही नोटिस दी गई है और अगली तारीख को पूरी जानकारी के साथ उन्हें आयोग के समक्ष उपस्थित रहने के लिए कुलपति को आदेश दिया जाता है। उन्हें आयोग को यह भी बताना होगा कि किस प्रक्रिया के तहत उन्होंने सहायक लोक सूचना पदाधिकारी एवं लोक सूचना पदाधिकारी की नियुक्ति की है। कुलसचिव जो कि उपस्थित हैं वे भी अगली निश्चित तिथि को आयोग के समक्ष उपस्थित रहेंगे। कुलपति एवं कुलसचिव पर संज्ञान धारा 20 (1) के तहत ली जाती है, और वे आयोग को यह भी बतायेंगे कि इस धारा की तहत आयोग उन लोगों पर क्यों नहीं कार्रवाई करें।

इन मामलों के अगली सुनवाई दिनांक–12 फरवरी 2007 को 10.30 बजे पूर्वाह्न निश्चित की जाती हैं। आयोग यह भी अपेक्षा करता है कि इस तिथि के पहले अपीलकर्त्ता आवेदक को आवश्यक सूचनाएं दे देगें और आयोग को अपना प्रतिवेदन सुनवाई के लिए 08.02.2007 तक प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश अपीलकर्त्ता एवं विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों के समक्ष पारित किया गया हैं, अतः अगली सुनवाई की तिथि के संसूचन की आवश्यकता नहीं हैं।

(पी0एन0 नारायणन)	(मो0 शकील अहमद)	(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

12.02.2007 सभी मामलों में आवेदक श्री निर्मल कुमार गोयंका हैं एवं वे सभी मामले बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर से संबंधित है। अतः सभी मामलों को एकसाथ सूना गया। आयोग के दिनांक–10.01.07 के निर्देश के तहत कुलपति, कुलसचिव एवं सहायक लोक सूचना पदाधिकारी उपस्थित हैं। कुलसचिव द्वारा एक पत्र भी आयोग को दिया गया है जिसमें कहा गया है कि 35 मामलों में से 32 मामलों में सूचना दे दी गयी है और बचे हुए 3 मामलों यथावाद संख्या–82, 198, 202 में बहुत जल्दी ही सूचना प्रदान कर दी जायेगी। वादी का कहना है कि सूचनाएँ उन्हें दी गयी है वे अपूर्ण, भ्रामक, मिथ्या एवं त्रुटिपूर्ण है। अतः उन्होंने रिज्वाइन्डर फाइल करने के लिए समय की मांग की है। कुलपति एवं कुलसचिव की ओर से भी धारा–20 के तहत दी गयी नोटिस के जवाब में कारण–पृच्छा नहीं की गयी है। अतः उनकी ओर से भी समय की मांग की गयी है। दोनों ओर से सुनवाई के बाद आयोग इस निर्णय पर पहुँचती है कि एक और समय वादी को रिज्वाइन्डर फाइल करने के लिए दिया जाए और इस बीच कारण पृच्छा भी आयोग के समक्ष कुलपति एवं कुलसचिव की ओर से दायर किया जाए। वादी दिनांक–26.02.07 तक रिज्वाइन्डर फाइल करते हुए उसकी एक प्रति आयोग को दाखिल करें। उसी प्रकार कुलपति एवं कुलसचिव, बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर भी कारणपृच्छा आयोग को दाखिल करें। वाद की अगली सुनवाई दिनांक–07.03.07 को 10.30 बजे पूर्वाह्न रखी जाती है। तबतक कुलपति एवं कुलसचिव निर्देश के पालन में वादी को बाकी सूचनाएँ भी प्रदान कर सकते हैं और उसकी एक प्रति आयोग को अगली तारीख को प्रदान कर सकते हैं। चूँकि यह आदेश सभी पक्षों के समक्ष पारित किया गया है, अतएव अलग से नोटिस भेजने की आवश्यकता नहीं है।

(पी0एन0 नारायणन)	(मो0 शकील अहमद)	(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

07.03.2007 वादी उपस्थित हैं। कुलपति एवं कुल सचिव उपस्थित हैं। उनके द्वारा कारण पृच्छा दी गयी है। कारण पृच्छा में इस बात की जानकारी दी गयी है कि नये कुल सचिव के पद भार ग्रहण करने में समय लगा और उसके बाद उनलोंगों ने कारवाई शुरू की ताकि अपेक्षित सूचनाएं वादी को दी जा सके। आयोग को, जो दिक्कत हुई है, उसके लिए उन्होंने क्षमा याचना की है। आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 (1) के तहत कार्रवाई करने हेतु कारण–पृच्छा दायर करने के लिए निर्देशित किया था। आयोग समर्पित कारण–पृच्छा को मंजूर करती है तथा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 (1) के अधीन दिये गये नोटिस से प्रतिवादी को वरी करती है।

जहां तक वाद का संबंध है, वादी द्वारा मांगी गई सूचनाओं में दो सूचनाएं नहीं दी गई है। बी.बी.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के वित्त पदाधिकारी भी सुनवाई के दौरान उपस्थित हैं । उनका कहना है कि ये सूचनाएं उनके पास तैयार है एवं इसे देने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और वे इसे वादी को दे देंगे । मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने में आठ महीने का समय क्यों लग गया, उसे वे बताने में सक्षम नहीं है। अतएव, आयोग उन्हें निदेशित करती है कि ये सूचनाएं वादी को दिनांक 09.03.2007 तक उपलब्ध करा दी जाए और अगर वे सूचनाएं वादी को नहीं देते हैं तो वैसी स्थिति में आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20 (1) के तहत विधि संगत कार्रवाई करने के लिए वाध्य होगी ।इस निर्देश के साथ इस वाद की कार्यवाई को समाप्त की जाती है। अगर वादी को ये सूचनाएं दिनांक 09.03.2007 तक नहीं मिलती है तो वे एक पत्र के द्वारा आयोग को सूचित कर इस वाद को पुर्नजीवित करने हेतु प्रार्थना कर सकते हैं।

(पी0एन0 नारायणन)	(मो0 शकील अहमद)	(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त